इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल 2022—चैत्र 29, शक 1944

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2022

क्र. एफ-01-03-2022-सत्रह-मेडि.-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उप—नियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "(ख) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा अथवा चयन समिति/छानबीन समिति द्वारा स्वीकृत क्रमोन्नत वेतनमान/चार स्तरीय वेतनमान प्राप्त चिकित्सा अधिकारी/दंत शल्य चिकित्सकों के चयन द्वारा; और।"।

2. नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "14. पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्ति .—

(1) सेवा के पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति/चयन के लिए अनुसूची–चार समूह क (चिकित्सीय) कॉलम (5) में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक पदोन्नति/चयन समिति गठित की जाएगी।

(2) समिति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार, अनुसूची – चार, समूह क (चिकित्सीय) के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों के लिए, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी इस आशय के प्रमाण–पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि चिकित्सा अधिकारी/ दंत शल्य चिकित्सक को विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति/चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया गया है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों के निदेशों/उपबंधों के अधीन चयन समिति/छानबीन समिति द्वारा समयमान वेतनमान/चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन :– नियुक्ति प्राधिकारी इस आशय के प्रमाण–पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि पदोन्नति/चयन आदेश मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किए गए अनुदेशों का पालन करता है।

(5) समिति ऐसे अंतरालों से बैठक करेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए किन्तु समिति सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।"।

3. अनुसूची एक में,–

(1) समूह–"क" चिकित्सीय में, अनुक्रमांक 9, 10, 13 तथा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किए जाएं, अर्थात् :–

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)
वर्गीकरण, वेतनमान में सम्मिलित पदों की संख्या
समूह "क" चिकित्सा

.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	**विशेषज्ञ (3564)**		प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम	पी0बी0 3 (15600–39100) + 6600 ग्रेड पे कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) पी0बी0 3 (15600–39100) + 7600 ग्रेड पे वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत) पी0बी0 4 (37400–67000) + 8700 ग्रेड पे प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत) पी0बी0 4 (37400–67000) + 8900 ग्रेड पे वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 05 प्रतिशत)	(1) विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं वे पूर्ववत् आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। (2) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के स्वीकृत पदों में क्षेत्रीय संचालक के पद सम्मिलित हैं। (3) विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित विशेषज्ञ के पद का क्रमोन्नत/ चार स्तरीय वेतनमान प्राप्त करने वाले पीजी चिकित्सक विशेषज्ञ के पद के आगामी वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, व प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु पात्र होंगे।
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	385			
	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ	86			
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ	648			
	(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ	632			
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ	126			
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ	228			
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	516			
	(ज) पैथोलॉजिस्ट	137			
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट	98			
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	655			
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	53			

10	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	54	तदैव तदैव तदैव तदैव	पी0बी0 3 (15600–39100) + 6600 ग्रेड पे कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) पी0बी0 3 (15600–39100) + 7600 ग्रेड पे वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत) पी0बी0 4 (37400–67000) + 8700 ग्रेड पे प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत) पी0बी0 4 (37400–67000) + 8900 ग्रेड पे वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 05 प्रतिशत)	(1) विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान ,वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं वे पूर्ववत् आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। (2) विभागीय जॉच/ न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित विशेषज्ञ के पद का क्रमोन्नत / चार स्तरीय वेतनमान प्राप्त करने वाले एम0डी0एस0 दंत चिकित्सक दंत चिकित्सा विशेषज्ञ के पद के आगामी वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु पात्र होंगे।

13	चिकित्सा अधिकारी (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात एम0बी0बी0एस योग्यता हेतु 100 प्रतिशत किन्तु विशेषज्ञ श्रेणी की पीजी डिग्री/ डिप्लोमा योग्यता हेतु विशेषज्ञ संवर्ग में पद रिक्तता अनुसार वेतनमान /चयन हेतु पात्र होगे) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात एम0बी0बी0एस योग्यता हेतु 100 प्रतिशत किन्तु विशेषज्ञ श्रेणी की पीजी डिग्री/डिप्लोमा योग्यता हेतु विशेषज्ञ संवर्ग में पद रिक्तता अनुसार वेतनमान /चयन हेतु पात्र होगे) (घ) # वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण होने कर लेने के पश्चात् एम0बी0बी0एस योग्यता हेतु 100 प्रतिशत	5097	द्वितीय प्रथम प्रथम प्रथम	पी0बी0 3 (15600–39100) + 5400 ग्रेड पे पी0बी0 3 (15600–39100) + 6600 ग्रेड पे पी0बी0 3 (15600–39100) + 7600 ग्रेड पे पी0बी0 4 (37400–67000) + 8700 ग्रेड पे	(1) विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित एम0बी0बी0एस0 शैक्षणिक योग्यता के चिकित्सकों के संदर्भ में कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान,प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान,प्रवर श्रेणी वेतनमान ,वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं वे पुर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। (2) विभागीय जॉच/ न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित ऐसे चिकित्सक जिन्होने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपरांत 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो कमोन्नत वेतनमान पी0बी0 3 (15600–39100) + 6600 ग्रेड पे प्राप्त कर विशेषज्ञ संवर्ग में पद रिक्तता अनुसार चयन हेतु पात्र होगे। चयन उपरांत कर्तव्य प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के भॉती होगे, तथा उक्त चयनित चिकित्सको की वरीयता विशेषज्ञ संवर्ग में सीधी भर्ती किये गये तथा पदोन्नत / चयन किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति / पदोन्नति / चयन आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी।

14	. दंत शल्य चिकित्सक (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात बी0डी0एस0 योग्यता हेतु 100 प्रतिशत किन्तु विशेषज्ञ श्रेणी की पीजी डिग्री एम0डी0एस0 योग्यता हेतु विशेषज्ञ संवर्ग में पद रिक्तता अनुसार वेतनमान /चयन हेतु पात्र होगे) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात बी0डी0एस0 योग्यता हेतु 100 प्रतिशत किन्तु विशेषज्ञ श्रेणी की पीजी डिग्री एम0डी0एस0 योग्यता हेतु विशेषज्ञ संवर्ग में पद रिक्तता अनुसार वेतनमान /चयन हेतु पात्र होगे) (घ) # वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण होने कर लेने के पश्चात् बी0डी0एस0 योग्यता हेतु 100 प्रतिशत	187	द्वितीय प्रथम प्रथम प्रथम	पी0बी0 3 (15600–39100) + 5400 ग्रेड पे पी0बी0 3 (15600–39100) + 6600 ग्रेड पे पी0बी0 3 (15600–39100) + 7600 ग्रेड पे पी0बी0 4 (37400–67000) + 8700 ग्रेड पे	(1) बी0डी0एस0 योग्यताधारी दंत शल्य चिकित्सक हेतु विभागीय जॉच/ न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं वे पुर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। (2) विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित ऐसे दंत शल्य चिकित्सक जिन्होने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत दंत शल्य चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो कमोन्नत वेतनमान पी0बी0 3 (15600–39100) + 6600 ग्रेड पे प्राप्त कर दंत चिकित्सा विशेषज्ञ पद की रिक्तता अनुसार चयन हेतु पात्र होगे। चयन उपरांत कर्तव्य प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के भॉती होगे, तथा उक्त चयनित दंत शल्य चिकित्सको की वरीयता विशेषज्ञ संवर्ग में सीधी भर्ती किये गये तथा पदोन्नत / चयन किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति / पदोन्नति / चयन आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) टिप्पण–2 के पश्चात् निम्न लिखित टिप्पण जोडी जाए, अर्थात् :–

"टिप्पण–(3) चिकित्सक, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक एफ 14–01/2015/17/मेडि–1 दिनांक 16.03.2016 के अनुसार पात्र होंगे जो कि वित्त विभाग की सहमति टीप क्रमांक 92/13/2016/वित्त/नियम/चार दिनांक 18.1.2016 द्वारा राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ के संबंध में चार स्तरीय वेतनमान कियान्वयन में विसंगतियों को सुधारने के लिए प्रकाशित किया गया था।

4. अनुसूची – दो, समूह "क" चिकित्सा, में सरल कमांक 9, 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ठियां स्थापित की जाए, अर्थात् :–

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)
भरती का तरीका
समूह "क" चिकित्सा

अनु. क्रं.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा {नियम–6 (1) (क) देखिये}	पदोन्नति / चयन द्वारा (क्रमोन्नत वेतनमान / चार स्तरीय वेतनमान द्वारा) {नियम–6 (1) (ख) देखिये}	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा {नियम –6 (1)(ग) देखिये}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवायें – प्रथम श्रेणी	385	25 %	75 %	–	कॉलम (2) में वर्णित पद, कॉलम (6) में अंकित प्रतिशतता अनुसार ऐसे चिकित्सकों से भरे जावेगे जिनका चयन क्रमोन्नत वेतनमान /चार स्तरीय वेतनमान द्वारा किया गया है।
	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ	तदैव	86	25 %	75 %	–	
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ	तदैव	648	25 %	75 %	–	
	(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ	तदैव	632	25 %	75 %	–	
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ	तदैव	126	25 %	75 %	–	
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ	तदैव	228	25 %	75 %	–	

	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	तदैव	516	25 %	75 %	—	
	(ज) पैथोलॉजिस्ट	तदैव	137	25 %	75 %	—	
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट	तदैव	98	25 %	75 %	—	
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	तदैव	655	25 %	75 %	—	
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	तदैव	53	25 %	75 %	—	
10	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	तदैव	54	25 %	75 %	—	तदैव

5. अनुसूची – तीन, समूह "क" चिकित्सा के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :–

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिए)
सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता
समूह "क" चिकित्सा

अनु. क.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएँ	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	विशेषज्ञ				
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / सी0पी0एस0 डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिएटी डिग्री / डिप्लोमा (2) म0प्र0 चिकित्सा परिषद में संबंधित विषय में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	—
	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ				
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ				
	(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ				
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ				
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ				
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ				
	(ज) पैथोलॉजिस्ट				
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट				
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ				
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ				

2	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री । (2) म0प्र0 राज्य दन्त चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	—
3	चिकित्सा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) एम0बी0बी0एस0 या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता । (2) म0प्र0 चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	—
4	दन्त शल्य चिकित्सक	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) बी.डी.एस. उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई समतुल्य अर्हता । (2) म0प्र0 राज्य दन्त चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	—

6. उक्त नियमों में, अनुसूची – तीन, समूह "क" चिकित्सा, में निम्न लिखित टिप्पण स्थापित किए जाए, अर्थात् :–

"टिप्पण – (1) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सक / दंत शल्य चिकित्सक को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विशेषज्ञ पद हेतु विभागीय अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु अन्य विभागों के अधीनस्थ पदस्थ चिकित्सक / दंत शल्य चिकित्सक को विभागाध्यक्ष कार्यालय की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(2) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन / अन्य विभागो के अधीन पदस्थ चिकित्सक / दंत शल्य चिकित्सक का विशेषज्ञ / दंत चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर चयन होने की स्थिति में पूर्व धारित पद से तकनीकी त्याग–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विशेषज्ञ पद हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सक / दंत शल्य चिकित्सक को नियमानुसार पूर्व सेवा का लाभ, यदि अन्यथा नियमों के अधीन देय हो तो, नये पद पर वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ अनुमत्य किया जायेगा।"

7. उक्त नियमों में, अनुसूची – चार, समूह "क" चिकित्सा, में सरल कमांक 9, 10 में विद्यमान प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्नांकित प्रविष्ठियां प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :–

अनुसूची—चार
(नियम 13 तथा 14 देखिए)
प्रदोन्नति / चयन के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति / चयन समिति के सदस्य
समूह "क" चिकित्सा

अनु. क्र.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति / चयन किया जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति / चयन किया जाना है (चार स्तरीय वेतनमान / क्रमोन्नत वेतनमान)	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति / चयन किया जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि हो तो, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति / चयन समिति / छानबीन समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
9	चिकित्सा अधिकारी	**विशेषज्ञ** (क) निश्चेतना विशेषज्ञ (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ (ग) मेडिकल विशेषज्ञ (घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ (ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ (च) अस्थि रोग विशेषज्ञ (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ (ज) पैथोलॉजिस्ट (झ) रेडियोलॉजिस्ट (ञ) सर्जरी विशेषज्ञ (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	ऐसे चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारित व न्यूनतम् वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त कर चुके है अथवा ऐसे चिकित्सक जिन्होने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपरांत 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो क्रमोन्नत वेतनमान पी0बी0 3 (15600—39100) + 6600 ग्रेड पे प्राप्त कर विशेषज्ञ संवर्ग में पद रिक्तता अनुसार चयन हेतु पात्र होगे।	1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — **अध्यक्ष** 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें — **सदस्य** 3. अपर संचालक (वित्त) / वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य सेवायें — **सदस्य** 4. अपर संचालक (प्रशासन / विज्ञप्त) — **सदस्य** 5. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी — **सदस्य**
10	दंत शल्य चिकित्सक	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	ऐसे दंत शल्य चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री धारित व न्यूनतम् वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त कर चुके है अथवा ऐसे दंत शल्य चिकित्सक जिन्होने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत दंत शल्य चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो क्रमोन्नत वेतनमान पी0बी0 3 (15600—39100) + 6600 ग्रेड पे प्राप्त कर दंत चिकित्सा विशेषज्ञ में पद रिक्तता अनुसार चयन हेतु पात्र होगे।	1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — **अध्यक्ष** 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें — **सदस्य** 3. अपर संचालक (वित्त) / वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य सेवायें — **सदस्य** 4. अपर संचालक (प्रशासन / विज्ञप्त) — **सदस्य** 5. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी — **सदस्य**

No. F-.01-03..../2022/17/Med-I - In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules,2007, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules-,

1. In rule 6, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted,namely :-

"(b) By promotion of the members of the service specified in column (2) of Schedule-IV or by Selection of Medical officer / Dental Surgeon's who have been sanctioned time pay scale / four tire pay scale by selection committee / scrutiny committee;and. ".

2. For rule 14, the following rule shall be substituted, namely :-

"14. Appointment by Promotion/Selection.-

(1) A Promotion / Selection Committee shall be constituted, consisting the members mentioned in column (5) of Schedule IV Group A (Medical) for promotion / selection of eligible members of the service.

(2) The Committee shall consider the case of all persons for the posts mentioned in column (3) of Schedule IV Group A (Medical) from the post mentioned in column

(2) of the said Schedule, as per the instruction issued by General Administration Department from time to time.

(3) Appointing Authority shall endorse a certificate to the effect that the promotion / selection of Medical Officer / Dental Surgeon on the post of Specialist is made from persons who have been sanctioned time pay scale / four tire pay scale by selection committee / scrutiny committee under instruction / provisions of the rules issued by general Administration Department and Finance Department from time to time.

(4) Certification by Appointing Authority:- Appointing Authority shall endorse a certificate to the effect that the promotion / Selection order complies with the Madhya Pradesh LokSeva (AnusuchitJatiyon, Anusuchi Jan atiyonAur Anya PichhadeVargonKeLiyeArakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions under the provisions of the rules issued by general Administration Department, from time to time."

(5) The Committee shall meet at such intervals as may be directed by the Appointing Authority, but the committee ordinarilyshall meet at least twice in a year.".

3. In Schedule-I,

(1) in Group-"A" Medical, for Serial No. 9, 10, 13 and 14, the following serial numbers shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-I

(See Rules 5)

Classification, Pay Scale, Number of Posts Included in Service

Group - A - Medical

Sr. No	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"9	Specialist		Class I	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600 Junior Grade Scale (100 %) P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 7600 Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale) P.B.-4 (37400-67000)+ Grade Pay 8700 Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior Grade Scale) P.B.-4 (37400-67000)+ Grade Pay 8900	(1) In Case of no departmental enquiry and legal case and On the recommendation of Screening / Selection Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale, eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well. (2) Posts of Regional Director are also included in sanctioned posts of Senior selection Grade. (3) In Case of no
	(a)Anesthesia Specialist	385			
	(b) ENT Specialist	86			
	(c) Medical Specialist	648			
	(d) Obstetrics and gynaecology Specialist	632			
	(e)Eye Specialist	126			
	(f)Orthopedic Specialist	228	-Do-		
	(g)Paediatric Specialist	516			
	(h) Pathologist	137			
	(i) Radiologist	98			
	(j)Srugery Specialist	655			
	(k) TB & Ches Specialist	53	-Do-		

			-Do-	Senior Selection Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)	departmental enquiry and legal case and On the recommendation of Screening / Selection Committee, Medical officer who have been sanctioned time pay scale / four tire pay scale shall be entitled for post of Specialist and senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale of specialist as well.
10	Dental Specialist	54	Class I -Do- -Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600 Junior Grade Scale (100 %) P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 7600 Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale) P.B.-4 (37400-67000)+ Grade Pay 8700 Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior Grade Scale) P.B.-4 (37400-	(1) In Case of no departmental enquiry and legal case and On the recommendation of Screening / Selection Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale, eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.

			-Do-	67000)+ Grade Pay 8900 Senior Selection Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)	(2) In Case of no departmental enquiry and legal case and On the recommendation of Screening / Selection Committee, Dental Surgeon who have been sanctioned time pay scale / four tire pay scale shall be entitled for post of Dental Specialist and senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale of specialist as well.

13	Medical Officer (a) Junior Grade Scale (100 %) (b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale for MBBS and Post Graduate degree / Diploma holders will be eligble for selection on specialist post asper vacancy in respective specialisation) (c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior Grade Scale for MBBS and Post Graduate degree / Diploma holders will be eligble for selection on specialist post asper vacancy	5097	Class – II Class – I -Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400 P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600 P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600	(1) On the recommendation of Screening / Selection Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale, eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively for only MBBS degree holders, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well. (2) On the recommendation of Screening / Selection Committee, post gradudate degree / diploma holders will be entitled for selection on pay scale (15600-39100) + 6600 Grade pay after completing 2 years service after Degree and 3 years service after Diploma, if post is vacant in respective specialist cadre. Duties of selected officers will be asper specialist posts. The

	in respective specialisation) (d) # Senior Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Selection Grade Scale for MBBS)		-Do-	P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700	relative seniority between direct recruits and selected persons shall be determined according to the date of issue of appointment / promotion / selection order

14	Dental Surgeon (a) Junior Grade Scale (100 %) (b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale for BDS and Post Graduate MDS degree holders will be eligble for selection on Dental specialist asper vacancy in respective post) (c) Selection Grade Scale Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior Grade Scale for BDS and Post Graduate MDS degree holders will be eligble for selection on Dental specialist asper vacancy in respective	187	 Class – II Class – I -Do-	 P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400 P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600 P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600	(1) On the recommendation of Screening / Selection Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale, eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively for only BDS degree holders, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well. (2) On the recommendation of Screening / Selection Committee, post gradudate degree MDS holders will be entitled for selection on pay scale (15600-39100) + 6600 Grade pay after completing 2

	post) (d) # Senior Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Selection Grade Scale for BDS)		-Do-	P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700	years service after Degree, if post is vacant in Dental specialist posts. Duties of selected officers will be asper specialist posts. The relative seniority between direct recruits and selected persons shall be determined according to the date of issue of appointment / promotion / selection order

(2) After Note-2, the following Note shall be added,namely :-

"Note - 3. Doctors will be eligible for pay-scale According to the revised order number F 14-01/2015/17/Medi-1 dated 16.03.2016 of the Government of Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare Department, which was issued to rectify the discrepancy in implementing four tire pay-scale in respect to specialist cadre by State Government, by concent note no. 92/13/2016/finance/rule/4 dt 18-01-2016 of finance department.".

4. InSchedule-II, in Group-"A" Medical, for Serial No. 9 and 10, the following Serial No. shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-II
(See Rules 6)
Method of Recruitment
Group - "A" - Medical

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total No of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment (See Rule 6 (1) (a))	By Promotion/Selection (By promoted pay sclae/ four tier pay scale) (See Rule 6 (1) (b))	By Transfer of persons from other services (See Rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"9	Specialist						
	(a) Anesthesia Specialist	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	385	25 %	75 %	-	The posts mentioned in column 2 shall be filled by percentage as shown in column 6 by doctors on the basis of selection in Four tier pay scale/ Promoted pay scale.
	(b) ENT Specialist	-Do-	86	25 %	75 %	-	
	(c) Medical Specialist	-Do-	648	25 %	75 %	-	
	(d) Obstetrics and gynaecology Specialist	-Do-	632	25 %	75 %	-	

	(e) Eye Specialist	-Do-	126	25 %	75 %	-	
	(f)Orthopedic Specialist	-Do-	228	25 %	75 %	-	
	(g) Paediatric Specialist	-Do-	516	25 %	75 %	-	
	(h)Pathologist	-Do-	137	25 %	75 %	-	
	(i)Radiologist	-Do-	98	25 %	75 %	-	
	(j)Srugery Specialist	-Do-	655	25 %	75 %	-	
	(k)TB & Chest Specialist	-Do-	53	25 %	75 %	-	
10	Dental Specialist	-Do-	54	25 %	75 %	-	-Do- .".

5. In Schedule-III,-

(1) forGroup-"A" Medical, the following group shall be substituted, namely :-

Schedule-III
(See Rule 8)
"Group 'A' Medical

S. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Specialist				
	(a)Anesthesia Specialist (b) ENT Specialist (c) Medical Specialist (d) Obstetrics and gynaecology Specialist (e) Eye Specialist (f)Orthopedic Specialist (g)Paediatric Specialist (h) Pathologist (i) Radiologist (j)Srugery Specialist (k) TB & Chest Specialist	21 years	40 years	(1)Diploma / CPS Diploma in respective specialization or equivalent qualification recognised by Medical Council of India. or Post Graduate Degree in respective specialization recognised by Medical Council of India. or Super Speciality Degree / Diploma in respective specialization recognised by Medical Council of India. (2) Registration in MP Medical Council is compulsory.	-
2.	Dental Specialist	21 years	40 years	(1)Post Graduate Degree recognised by Medical Council of India. (2)Registration in MP Dental Council is compulsory.	-

3.	Medical Officer	21 years	40 years	(1) MBBS or equivalent qualification recognisedby Medical Council of India. (2) Registration in MP Medical Council is compulsory.	-
4.	Dental Surgeon	21 years	40 years	(1) BDS Degree or any equivalent degree from a recognised university. (2) Registration in MP Dental Council is compulsory.	- ».

(6) In Schedule III Group-"A" Medical, the following Note shall be added,namely :-

"Note - 1. The doctor / dental surgeon working under the Public Health and Family Welfare Department will not require departmental no-objection certificate for the post of specialist advertised by the Madhya Pradesh Public Service Commission. But the doctor / dental surgeon posted under other departments will be required to submit a no-objection certificate from the Head of Department's office.

2. In the event of selection for the post of specialist / dental specialist of a doctor / dental surgeon posted under the Public Health and Family Welfare Department / under other departments, it will be mandatory to submit a technical resignation from the previously held post.

3. For the post of specialist advertised by the Madhya Pradesh Public Service Commission, the benefit of previous service to a doctor/dental surgeon working under the Public Health and Family Welfare Department as per rules, if otherwise payable under the rules, will be allowed for the purpose of fixation of pay on the new post.'.

7. In Schedule-IV, in Group-"A" Medical, for Serial No. 9 and 10, the following Serial No. shall be substituted, namely :-

Sr. No.	Name of post or Service from which promotion is to be made	Name of post to which promotion / selection is to be made (Four Tire and Promoted pay scale)	Essential qualification, if any, and other experience of the post from which promotion / selection is to be made	Name of Members of the Department Promotion / Selection / Scrutiny Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	Medical Officer	Specialist (a) Anesthesia Specialist (b) ENT Specialist (c) Medical Specialist (d) Obstetrics and gynaecology Specialist (e) Eye Specialist (f) Orthopedic Specialist (g) Paediatric Specialist (h) Pathologist (i) Radiologist (j) Srugery Specialist (k) TB & Chest Specialist	Such doctors who have held postgraduate degree / postgraduate diploma and have obtained minimum senior grade pay scale or such doctors who have completed 02 years regular service in the post of doctor after postgraduate degree or 03 years after postgraduate diploma, will get upgraded pay scale PB-3 (15600-39100) + 6600 and will be eligible for selection as per vacancy in specialist cadre by getting grade pay.	1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary Public Health and Family Welfare Department - Chairman 3. Health Commissioner, - Member 4. Additional Director (Finande) / Financial Advisor, Public Health and Family Welfare Department - Member 4. Additional Director (Administration)/ Gazatted), Public Health and Family Welfare Department - Member
10.	Dental Surgeon	Dental Specialist	Such dental surgeons who have held a postgraduate degree and have obtained minimum senior grade scale or such dental	-do-.".

			surgeons who have completed 02 years regular service in the post of dental surgeon after master's degree, in the upgraded pay scale (15600- 39100) + 6600 and will be eligible for selection as per vacancy on the post of Dental Specialist cadre by getting grade pay.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. त्रिपाठी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.